झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– / /2022 ई०।

13/ई० –102/2021–................/ आतंकी संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर आतंकी हमलों को अंजाम देकर आतंक का माहौल बनाने एवं देश की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया है। पूर्व में राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0–13/सी0–205/ 2009–260, दिनांक 21.09.2015 द्वारा आतंकवाद निरोधी दस्ता का गठन किया है। साथ ही अधिसूचना संख्या–16/थाना–27/2015–247, दिनांक–28.01.2016 के तहत् आतंकवाद निरोधी दस्ता के थाने को भी अधिसूचित किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार पूरा झारखण्ड राज्य है।

2. आतंकवाद निरोधी दस्ता का मूल उत्तरदायित्व आतंकवाद की प्रत्येक गतिविधि, जिसमें नार्को आतंकवाद/साईबर आतंकवाद/आर्थिक आतंकवाद आदि सभी शामिल हैं, से राज्य को मुक्त रखना, इसमें संलिप्त आतंकवादियों, उनके सहयोगियों एवं आश्रयदाताओं पर विधि–सम्मत कार्रवाई करना तथा देश की अन्य एजेंसियों को भी आतंकवाद की रोकथाम हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

उल्लेखनीय है कि आतंकवाद एवं संगठित अपराध की कड़ियाँ सामान्यतः आपस में जुड़ी रहती हैं। आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण (Funding) हेतु संगठित आपराधिक गिरोहों और संगठित आपराधिक गतिविधियों जैसे भयादोहन, मादक पदार्थों के अवैध धंधे, तस्करी आदि का सहारा लिया जाता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि की समय से पूर्व सूचना प्राप्त करने तथा समय रहते उसकी रोकथाम हेतु आवश्यक है कि आतंकवाद निरोधी दस्ता द्वारा संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के साथ–साथ राज्य में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर भी पैनी निगाह रखी जाय तथा उनपर आवश्यक विधि–सम्मत कार्रवाई की जाय।

3. अतः आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाने को संगठित अपराध के विरूद्ध झारखण्ड राज्य में कहीं भी संगठित आपराधिक गिरोह/संगठन/सदस्य के विरूद्ध विधि–सम्मत प्रक्रिया के अनुसार छापेमारी, गिरफ्तारी एवं अनुसंधान हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

4. आतंकवाद निरोधी दस्ता की कार्य–व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देश के संदर्भ में विधि–सम्मत एवं नियमानुकूल पुलिस आदेश निर्गत करने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–13/ई० –102/2021– 1255 / राँची, दिनांक– 30/03/2022 ई०।

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, पो०–डोरण्डा, राँची / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/ नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.22

सरकार के प्रधान सचिव।